

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला

सी.18, वन भवन, सैक्टर-6, पंचकूला, दूरभाष 0172.2563988, 2563861 E-mail : cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक:- डी-तीन-10371/373

दिनांक:- 11/05/2023

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 0.1785 ha. Forest Land for access of permission for transportation of Mining area at village Khanak, under Forest Division and District Bhiwani, Haryana. Proposal No. FP/HR/Approach/146575/2021

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 9-HRB129/2022-CHA दिनांक 07.12.2022
उपरोक्त संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी, भिवानी के पत्र क्रमांक 1468 दिनांक 13.02.2023 से प्राप्त सूचना आपको निम्नप्रकार से भेजी जाती है:-

1	The dimensions of the proposed passage from 7.00 mts wide road has been proposed 20.5 x 85 mtrs, whereas in other such cases, the dimensions of such passages (entry/exit) are being considered by the State of Haryana are 6.00 mtrs, hence, revised passage (entry/exit) may be resubmitted accordingly	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त रास्ता खनन का मुख्य रास्ता है तथा इस रास्ते से ही खनन की 24x6 दिन खनन गतिविधि होती है। इस रास्ते से 6 मीटर में गाड़ियों का आवागमन होता है तथा 6 मीटर के रास्ते को गाड़ियों की लम्बी लाईन कवर करके रखती है। खनन क्षेत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में जान माल की हानि को रोकने या कम करने के लिए एंबुलेंस तथा प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के लिए शेष 3 मीटर का आपातकालीन रास्ता छोड़ा गया है। इसी कारण 6 मीटर के रास्ते के लिए आवेदन किया गया है।
2	State Government has stated that proposed area comes under Section 4 of PLPA-1900 whereas in the last para, it has been stated that the proposed project area does not falls under Section-4&5 of PLPA-1900, which needs clarifications	प्रस्तावित स्थल पी0एल0पी0ए0 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है जहां बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती है। प्रस्तावित स्थल पर पी0एल0पी0ए0 1900 की धारा 4 व 5 लागू नहीं होती है और इस क्षेत्र में कोई Mining Activity नहीं की गई है।
3	This is a violation of FCA, 1980 case, no action has been initiated/taken by the State Government against the concerned official as per the provisions of FCA,1980. Hence, disciplinary action may be initiated against the erring official under FCA, 1980.	प्रस्ताव में शामिल भूमि अवर्गीकृत वन क्षेत्र है तथा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) शाखा से वन विभाग को स्थानान्तरण हुई है और इस भूमि की Mutation दिनांक 05.01.2022 को हुई है। इस भूमि की सही पैमाईश करने पर ही स्थानान्तरण हुई वास्तविक भूमि का पता चला है। तदोपरांत ही यूजर एजेन्सी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया और प्रस्ताव में Violation बारे Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है। अतः प्रस्ताव में शामिल वन भूमि लोक निर्माण विभाग से स्थानान्तरण हुई है, जो कि स्टोन केशर की भूमि होती थी और खानक पहाड़ के बिल्कुल साथ लगती है, जो कि उंची-नीची

		<p>है। इसलिए बिना पैमाईश के इस भूमि का सही पता लगाना सम्भव नहीं था। यूजर एजेन्सी द्वारा जिस तिथि से वन भूमि का प्रयोग रास्ते हेतु किया जा रहा है, उसी तिथि से पैनल सी0ए0 की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है। अतः यूजर एजेन्सी से पैनल सी0ए0 की राशि प्राप्त करके प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाना उचित होगा।</p>
--	--	---

इसके अतिरिक्त क्षति रिपोर्ट/violation सम्बन्धि Detail Report सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन मण्डल अधिकारी से मांगी गई है, जोकि शीघ्र आपको प्रेषित कर दी जाएगी।
संलग्न/उपरोक्त

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एच. वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।
11/5/23



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Divisional Forests Officer, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / 1468
सेवा में:-

दिनांक / 13/02/2023.

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफओसीओएओ),
हरियाणा, पंचकूला।

- विषय :- Diversion of 0.1785 ha. forest land for access of permission for transportation of mining area at village Khanak, under Forest Division Bhiwani.
FP/HR/Approach/146575/2021.
- संदर्भ :- उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) का पत्र क्रमांक 9-HRB129/2022-CHA दिनांक January, 2022


—000—

संदर्भांकित पत्र द्वारा मांगी गई सूचना मद वाईज निम्न प्रकार से है :-

- i) मद नं० 1 बारे यूजर एजेंसी द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त रास्ता खनन का मुख्य रास्ता है तथा इस रास्ते से ही खनन की 24X6 दिन खनन गतिविधि होती है। इस रास्ते से 6 मीटर ग गाड़ियों का आवागमन होता है तथा 6 मीटर के रास्ते को गाड़ियों की लम्बी लाईन कवर करके रखती हैं। खनन क्षेत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में जान माल की हानि को रोकने या कम करने के लिए एंबुलेंस तथा प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के लिए शेष 3 मीटर का आपातकालीन रास्ता छोड़ा गया है। इसी कारण 6 मीटर के स्थान पर 9 मीटर के रास्ते के लिए आवेदन किया गया है। अतः आपको यूजर एजेंसी के उत्तर की प्रति साथ संलग्न भेजकर उक्त रास्ते (20.5 X 85 मीटर) की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
- ii) प्रस्तावित स्थल PLPA, 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है जहां दिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेडों की कटाई नहीं की जा सकती। प्रस्तावित स्थल पर PLPA, 1900 की धारा 4&5 लागू नहीं होती है और इस क्षेत्र में कोई Mining Activity नहीं की गई है।
- iii) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्ताव में शामिल भूमि अवगीकृत वन क्षेत्र है तथा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) शाखा से वन विभाग को स्थानांतरण हुई है और इस भूमि की Mutation दिनांक 05.01.2022 को हुई है। इस भूमि की सही पैमाईश करने पर ही स्थानांतरण हुई भूमि का वास्तविक पता चला है। तदोपरान्त ही यूजर एजेंसी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया और प्रस्ताव प्रस्तुत करने उपरान्त यूजर एजेंसी द्वारा वास्तव में जितनी भूमि का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी वन अपराध रिपोर्ट, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर श्री शशि भूषण कौशिक के नाम चाक की गई। यूजर एजेंसी द्वारा की गई Violation बारे Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है।

वन मण्डल अधिकारी
भिवानी।

letter fca 1493



HSIIDC

193

कमांक : HSIIDC/Mine/khanak/2023/ 456
दिनांक 10-02-2023

प्रेषित वन मंडल अधिकारी,
वन विभाग, भिवानी।

विषय: Diversion of 0.1785 ha. Forest land for access permission for transporation of mining area Village - Khanak, under Forest Division, Bhiwani. - (FP/HR/Approach/146575/2021).


संदर्भ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, तण्डीगढ के फाईल कमांक 9/एच0आर0वी129/2022-सी0एच0ए0 दिनांक जनवरी-2023 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय के अंतर्गत, खनन क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता (9 मीटर) व निकास (9 मीटर) और दोनों रास्तों के बीच में 25 मीटर संकरी गली/पट्टी जिसमें पेड़-पौधे लगाये गए है अर्थात कुल चौड़ाई 20.5 मी0 x लम्बाई 85 मी0 की गली के लिए हमारे द्वारा आवेदन किया गया है जिस पर आपके मुख्यालय द्वारा अपने पत्र में बिन्दु सं0 2(i) में जो आपत्ति जाहिर की है कि इस प्रकार के समकक्ष मामले में हरियाणा राज्य द्वारा रास्तों की चौड़ाई 9 मी0 के स्थान पर 6 मी0 निर्धारित की गई है। इस संबंध में यह कार्यालय खनन कार्य से जुड़ी विशेष परिस्थितियों से आपको अवगत करवाना चाहता है जो इस प्रकार से है :-

महोदय, यह रास्ता खनन क्षेत्र का मुख्य रास्ता है और इस रास्ते से ही 24x6 दिन खनन गतिविधि होती है. आवगमन के रास्ते के 6 मीटर में गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है और गाड़ियों की लंबी लाईनें 6 मीटर को कवर करके रखती हैं इसके अलावा खनन क्षेत्र में दुर्घटना होना का खतरा संभावित है अतः जान व माल की हानि कम से कम या न हो इसलिए एम्बुलेंस या प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के लिए शेष 3 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है जोकि आपातकालिन रास्ता है इस विषय को ध्यान में रखते हुए रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर के स्थान पर 9 मीटर की गई है ताकि खनन गतिविधि को बाधित किए बिना, समानांतर रास्ते को काम में लिया जा सके, क्योंकि उक्त रास्ता हिसार-तोशाम रोड से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है और आवगमन के लिए सीधा व सुलभ है।

इसके अतिरिक्त, B&R Dept. से जो मंजूरी प्राप्त की गई है वह इसी रास्ते की है। अतः विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, उक्त वर्णित रास्ता जिराकी कुल चौड़ाई 20.5 x लम्बाई 85 मी0 की स्वीकृति प्रदान करें।
धन्यवाद सहित।

21053/34257/


प्रबंधक
एच0एस0आई0आई0डी0सी0,
खानक।

Reqd. Office - HSIIDC, C-13-14, Sector-6, Panchkula
Field Office- HSIIDC, Panchayat Bhawan, Village-Khanak, Teh. Tosham (Bhiwani)
email - mining.khanak@hsiidc.org.in

193

HARYANA PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDING & ROADS) BRANCH, BHIWANI
01664-242436 (O) EMAIL ID: pwd-eepd-bhiwani@hry.nic.in

To

The Deputy Commissioner,
Bhiwani.

Memo No.

Dated

Subject: Regarding grant of NOC for access to mining site on Hisar Tosham road (MDR-108) at Km. 27.507 (RHS) in Village Khanak Tehsil Tosham District Bhiwani (Haryana)

Reference: Online application No. 4879 dated 18.11.2021.

The NOC case for the work cited as subject received vide online application under reference is sent herewith. There is No Objection to issue the NOC to the above said work with the following conditions:-

1. The company will provide one meter width Hume Pipe culverts on both the approaches.
2. The company will not construct katcha or pucca structure on the PWD land.
3. Level of approaches should be kept below the shoulder of the PWD road level.
4. The company will regulate the storm water drainage to avoid damage to the road.
5. The company will supply agreement deed separately to the deptt. for execution of agreement for lease of Govt. land.
6. The company will arrange the drainage of the area of retail outlet in such a manner so that its storm water does not flow on the PWD land in any case.
7. The Longitudinal drainage of the road should not be affected in any manner.
8. The company will not provide any sign board or hoarding which violates the instructions of Hon'ble High Court and Hon'ble Supreme Court.
9. No action of the company will be allowed which will affect smooth running of vehicles on the road.
10. That the service road length 170 Mtr. (70+100 Mtr.) shall be provided by the applicant on his own cost as per guidelines IRC 12/2009 being a (MDR-108) and after construction it is the responsibility of the applicant to intimate this office so that Service road can be checked and final report may be issued.
11. The applicant will received the final NOC from the Executive Engineer after the completion of all Civil Work / Structural work as per instruction by the IRC : 2012.

12. The rent for lease charges of land has been deposited vide DD No.802326 dated 22.11.2021 issued by State Bank of India. amounting to Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) & DD No. 230375 dated 13.12.2021 issued by Punjab National Bank. Tosham Bhiwani, amounting to Rs. 60000/- (Rs. Sixty Thousand only) for 15 years & thereafter the rent for next fifteen year will have to be deposited regularly and the concern agreement has been made with this department. If any charges occurs on this part time to time will also be applicable on the agency.

This is for your kind information and further necessary action.

DA/Nil

^{SA}
Executive Engineer.
Provl.Divn.PWD B&R Br.
Bhiwani.

Endst. No.
Copy forwarded to the Superintending Engineer Bhiwani Circle, PWD
B&R Br.. Bhiwani for information w.r.t. his memo No.B-204225 dated 07.12.2021.

Dated

DA/Nil

Executive Engineer.
Provl.Divn.PWD B&R Br.
Bhiwani

Endst. No. 15499
Copy forwarded to the Project Manager, HSHDC Khanak for information
w.r.t. his online application No. 4879 dated 18.11.2021.

Dated 15/12/21

DA/Nil

Executive Engineer.
Provl.Divn.PWD B&R Br.
Bhiwani

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी परिमण्डल,
हवाई अड्डा रोड़, नजदीक मिल गेट, हिसार, हरियाणा 125001

दूरभाष/फैक्स नं० 01662.259489

email address-wstcrcl@yahoo.com

क्रमांक FCA / 105

दिनांक 25/04/2023

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकूला।


विषय :- Diversion of 0.1785 ha. of forest land for access of permission for transportation of mining area at village Khanak, Under Forest Division and Distt. Bhiwani.

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक डी-तीन-10371/3871 दिनांक 24.02.2023.

-0-0-0-

सन्दर्भांकित पत्र द्वारा आपने व०म०अ०, भिवानी द्वारा भेजे गये मद न० 3 की सूचना को Examine करने उपरान्त स्पष्ट सूचना भेजने बारे निर्देश दिये गये थे। व०म०अ०, भिवानी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव में शामिल भूमि अवर्गीकृत वन क्षेत्र है, जो कि लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) विभाग से वन विभाग को स्थानान्तरण हुई है और इस भूमि की Mutation दिनांक 05.01.2022 को हुई है। इस भूमि की सही पैमाईश होने उपरान्त ही स्थानान्तरण हुई वास्तविक भूमि का पता चला है और तदोपरान्त ही यूजैर एजैन्सी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतू लिखा गया और प्रस्ताव में Violation बारे Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है।

अतः निम्नहस्ताक्षरी द्वारा केस को Examine करने उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त प्रस्ताव में शामिल वन भूमि लोक निर्माण विभाग से स्थानान्तरण हुई है, जो कि स्टोन केशर की भूमि होती थी और खानक पहाड के बिल्कुल साथ लगती है, जो कि उंची-नीची है। इसलिए बिना पैमाईश के इस भूमि का सही पता लगाना सम्भव नहीं था। यूजैर एजैन्सी द्वारा जिस तिथि से वन भूमि का प्रयोग रास्ते हेतू किया जा रहा है, उसी तिथि से Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है। अतः यूजैर एजैन्सी से Penal CA की राशि प्राप्त करके प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाना उचित होगा।


वन संरक्षक,
पश्चिमी परिमण्डल, हरियाणा,
हिसार।